रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/आषाढ़ 17, 1937

No. 439] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ASHADHA 17, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 546(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 745 (अ) तारीख 27 अक्तूबर, 2014 द्वारा प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 27 अक्तूबर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 125घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"125ङ. पशुधन का परिवहन करने वाले मोटरयानों के लिए विशेष अपेक्षाएं–(1) 1 जनवरी, 2016 को और उसके पश्चात् सड़क द्वारा पशुधन का परिवहन करने के लिए उपयोग किए जा रहे मोटरयान, यथास्थिति समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की आईएस 14904: 2007; या आईएस 5238:2001; या आई एस 5236:1982 में यथाउपबंधित विशिष्टयों के अनुसार होंगे और पशुधन का परिवहनकर्ता या परेषणकर्ता संबंधित विशिष्टियों में पशु धन के परिवहन की बाबत अधिकथित व्यवहार संहिता का अनुसरण करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन रहते हुए जानवरों को ले जाने वाले मोटर यान में यान की बाडी में स्थायी विभाजन होंगे जिससे प्रत्येक विभाजन में जानवरों को व्यष्टिक रूप से ले जाया जाए, जिसमें विभाजन का आकार निम्नलिखित से कम नहीं होगा, अर्थात् :-

(i) गाय और भैंसें=2 वर्गमीटर

(ii) घोड़े और घोड़यां= 2.25 वर्गमीटर

(iii) भेड़ और बकरी=0.3 वर्गमीटर

(iv) सूअर =0.6 वर्गमीटर; और

(v) कुक्कुट =40 वर्ग सेंटीमीटर

(3) जानवरों को ले जाने के लिए आशयित किसी मोटर यान को अन्य माल को ले जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार उपांरित मोटर यान के आधार पर जानवरों को ले जाने के लिए आशयित मोटर यानों को विशेष अनुज्ञप्तियां जारी करेगा।

[फा. सं. आरटी-11036/24/2014-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण:–मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 498(अ), तारीख 16-06-2015 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2015

G.S.R. 546(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 745 (E), dated the 27th October, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 27th October, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (1) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 2016.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 125D the following rule shall be inserted, namely:—

"125E. Special requirements of motor vehicles transporting livestock.- (1) On and after, the 1st January, 2016, motor vehicles used for transportation of livestock by road shall be in accordance with the specifications of the Bureau of Indian Standards as provided in IS-14904:2007; or IS-5238:2001; or IS-5236:1982, as the case may be, as amended from time to time and the transporter or consigner of the livestock shall follow the code of practice laid down in the respective specification regarding the transport of the livestock.

(2) Subject to sub-rule (1), the motor vehicles for carrying animals shall have permanent partitions in the body of the vehicle so that the animals are carried individually in each partition where the size of the partition shall not be less than the following namely:—

(i) Cows and buffalos = 2 sq. mts.
(ii) Horses and mares = 2.25 sq. mts.
(iii) Sheep and goat = 0.3 sq. mts.
(iv) Pig = 0.6 sq. mts; and
(v) Poultry = 40 cm sq.

(3) No motor vehicles meant for carrying animals shall be permitted to carry any other goods.

(4) The Regional Transport Officer shall issue special licences for the motor vehicles meant for carrying animals on the basis of vehicles modified in accordance with the provisions of sub-rule (2).".

[F. No. RT-11036/24/2014-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number 498(E), dated 16-06-2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.